


प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला : **A.C.B O.P. Siu Jaipur** थाना: **C.P.S, A.C.B. Jaipur** ...वर्ष 2022
प्र0इ0रि0 सं.**55** / 2022.....दिनांक.....**22/2/22**
2. (I) अधिनियम धाराये. 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018
(II) *अधिनियम धारायें
(III) *अधिनियम धारायें
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या**478**..... समय**6-30 P.M.**
(ब) अपराध घटने का दिनांक 18.02.2022 से लगातार
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 18.02.2022
4. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक लिखित
5. घटनास्थल :- नया थाना परिसर कोटखावदा
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:- दक्षिणपूर्व में करीब 47 कि०मी०
(ब) *पता :बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थानाजिला
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :-
(अ) नाम - श्री रामराय मीना
(ब) पिता/पति का नाम -श्री भौरी लाल मीना
(स) जन्म तिथि/वर्ष44 साल.....
(द) राष्ट्रीयता भारतीय.....
(य) पासपोर्ट संख्याजारी होने की तिथि
जारी होने की जगह
(र) व्यवसाय - खेती
(ल) पता - निवासी गांव परमानन्दपुरा उर्फ मण्डालिया तहसील कोटखावदा जिला जयपुर

ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-

1. श्री जगदीश प्रसाद तंवर पुत्र श्री भंवर लाल जाति माली उम्र 55 साल निवासी 113/6, विजय पथ, मानसरोवर, जयपुर स्थाई पता-ग्राम नलियाबास, सुजानगढ़, गोपालपुरा रोड़, चूरु हाल पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी थाना कोटखावदा जिला जयपुर(दक्षिण), जयपुर।
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-...काई नहीं.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)...
रिश्वती राशि 50,000/- रुपये
10. * चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य ..रिश्वती राशि 50,000/- रुपये
11. * पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :-



दिनांक 18.02.2022 श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रनिब्यूरो ने मुझ उप अधीक्षक पुलिस को अपने कक्ष में बुलाया व उनके कक्ष में पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री रामराय मीना पुत्र श्री भौरी लाल मीना उम्र 44 साल निवासी गांव परमानन्दपुरा उर्फ मण्डलिया तहसील कोटखावदा थाना कोटखावदा जिला जयपुर व श्री धर्मेन्द्र सिंह मीणा पुत्र कल्याणमल मीणा उम्र 32 साल निवासी गांव बिहारीपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा के रूप में परिचय कराया व परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट-कि मैं रामराय मीणा पुत्र श्री भौरी लाल मीणा ग्राम परमानन्द पुरा उर्फ मंडलिया तहसील कोटखावदा का रहने वाला हूं। मेरे खिलाफ थाना कोटखावदा में मु0न0 111/2018 धारा 365,342,323, आर मसेट में मुकदमा दर्ज हो रखा है मुझे इस मुकदमें में 9/12/21 को थाना अधिकारी ने गिरफ्तार किया था इस मुकदमें में एसएचओ ने मेरी व बाकी बचे हुए तीन मुल्जिमों की मदद करने के नाम पर एसएचओ श्री जगदीश जी ने मुझे 50,000 रुपये मांगे जब मैंने कम करने के लिए कहा तो 35,000 हजार रुपये रिश्वत के मांगे उसके बाद में उस मुकदमें में जेल चला गया था उसके बाद में 14/2/22 को जेल से बाहर आया हूं अब एसएचओ मुझ से रिश्वत के 35,000 रुपये मांगेगा मैं उसको रिश्वत नहीं देना चाहता उसको रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं रिश्वत लेने में थाने के दो सिपाही सुरेश चौधरी तथा बिजेन्द्र भी एसएचओ के सहयोगी हैं इन लोगों से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। उपरोक्त आशय की प्रस्तुत रिपोर्ट मुझ उप अधीक्षक पुलिस कमल नयन के नाम पृष्ठांकन कर आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश प्रदान करने पर मन उप अधीक्षक उक्त दोनों व्यक्तियों को अपने कक्ष में लेकर आया और परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बारे में पूछा तो परिवादी ने स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना बताया एवं मजिद दरियापत पर बताया कि मैंने कोटखावदा थाने में 171/2016 व 112/2018 दर्ज करवाया था तथा मेरे खिलाफ 111/2018 मुकदमा दर्ज किया हुआ है मेरे द्वारा दर्ज कराये हुए उक्त दोनों मुकदमों में एफआर लगाकर दिसम्बर 2021 में कोर्ट में भेज दी तथा मेरे खिलाफ दर्ज मु0न0 111/2018 में मुझे गिरफ्तार कर दिनांक 09.12.2021 को जेल भेज दिया था इस मुकदमें में तीन मुल्जिम और गिरफ्तार होना बाकी है जिनमें दो तो मेरे भतीजे व एक मेरे जीजाजी हैं उस मुकदमें में मेरी व बाकी तीन बचे हुए लोगों की मदद करने के नाम पर थानाधिकारी श्री जगदीश जी ने रिश्वत के 35,000/रुपये मेरा पुलिस रिमाण्ड नहीं लेने के लिये दिनांक 09.012.2021 को मांगे। उसके बाद दिनांक 09.12.2021 को मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था तथा मेरा पुलिस रिमाण्ड नहीं लिया। उसके बाद मैं जेल चला गया और दिनांक 14.02.2022 को जेल से जमानत पर बाहर आया। दिनांक 15.02.2022 को मैं मेरा जप्त मोबाईल लेने के लिये थाना कोटखावदा गया था और मेरा मोबाईल लेकर घर आ गया था। उसके बाद दिनांक 16.02.2022 को मैं कोर्ट से मेरी गाड़ी बोलेरो आरजे 14 यूई 7402 को छोड़ाकर थाना कोटखावदा से छोड़ा कर ले आया था। उसके बाद आज सुबह 10.30 बजे मेरे मोबाईल पर थानाधिकारी श्री जगदीश जी को फोन आया और मुझे थाने पर बुला रहे हैं। मुझे शक है कि दिनांक 09.12.2021 को थानाधिकारी द्वारा मांगी गई रिश्वत के संदर्भ में मुझे बुला रहे हैं। मैं श्री जगदीश जी को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं इसलिये थाने ना जाकर सीधे आपके पास आ गया। चूंकि परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं दरियापत से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने पर कार्यालय से श्री पन्नालाल कानि 09 को बुलाया जाकर परिवादी व पन्नालाल का आपस में परिचय करवाया गया व कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर परिवादी को चालू व बन्द करने की विधि समझाई जाकर मुनासिब हिदायत देकर सत्यापन हेतु रवाना किया गया। कुछ समय बाद श्री पन्नालाल कानि मय परिवादी श्री रामराय मीना मय श्री धर्मेन्द्र सिंह मीना के उपस्थित कार्यालय आया। श्री पन्नालाल कानि0 ने अपने पास से वाईस रिकॉर्डर मन पुलिस उप अधीक्षक को दुरस्त हालत में सुपुर्द करते हुये बताया कि कार्यालय से रवाना होकर कोटखावदा पहुंचे। जब हम कोटखावदा जा रहे थे तो रास्ते में संदिग्ध आरोपी का फोन परिवादी के फोन पर आया व कहा कि मैं अभी क्वार्टर पर ही हूं तो तुम क्वार्टर पर ही आ जाना। इस पर हम कोटखावदा तहसील के सामने पहुंचे और मैंने वाईस रिकॉर्डर परिवादी को चालू करके दे दिया था। उसके बाद परिवादी संदिग्ध आरोपी के बताये गये क्वार्टर पर पहुंचा। मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुये संदिग्ध आरोपी के क्वार्टर के आस पास छुपाव हासिल करते हुये परिवादी पर नजर रखे मुक़िम हुआ। थोड़ी देर बाद परिवादी संदिग्ध आरोपी के क्वार्टर से बाहर मेरे पास आया और रिकॉर्डर मुझे चालू हालत में दिया जिसको मैंने बंद करके अपने पास रखा। वहां से रवाना होकर हम एसीबी कार्यालय आये। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से पूछने पर परिवादी ने श्री पन्नालाल कानि0 की बाद की ताईद करते हुये बताया कि कोटखावदा पहुंचने के बाद तहसील के पास से श्री पन्नालाल जी ने मुझे रिकॉर्डर चालू करके दे दिया था। वहां से मैं आरोपी थानाधिकारी के क्वार्टर के बाहर पहुंच कर मैंने थानेदार जी के फोन पर घंटी की तो वो क्वार्टर से बाहर आ गये थे। फिर वहीं क्वार्टर के बाहर रखी कुर्सियों पर थानेदार जी बैठ गये और एक कुर्सी लेकर मैं भी बैठ गया। उसके बाद थानेदार जी से मैंने मेरे काम की बात की तो थानेदार जी ने मेरे काम के लिये मुझसे 50,000 /-रुपये मांगे और कहा कि रविवार को लेकर आ जाना मैं तेरे भतीजों की पूरी मदद करूंगा। ये सारी बात मैंने वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड कर ली है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने डिजिटल वाईस रिकार्डर को कम्प्यूटर द्वारा सरसरी तौर पर सुना गया तो संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी के काम की एवज में 50 हजार की मांग करना पाया गया है। उक्त वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को उक्त रिश्वती राशि की व्यवस्था कर रविवार को सुबह कार्यालय में आने की हिदायत कर रुकसत किया गया। दिनांक 20.02.2022 को पूर्व से तलविदा स्वतंत्र गवाहान श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री प्रभुदयाल जाति-रैगर, उम्र 39 साल, निवासी प्लॉट नम्बर 21 मानसिंहपुरा, रैगर बस्ती, टोंक रोड़, जयपुर हाल- आशु लिपीक, इकाई कार्यालय रिको, मालवीय नगर जयपुर व

श्री कजोड़ मल मीणा पुत्र मूलचंद मीणा उम्र-38 साल निवासी मन्दरूपपुरा तहसील बस्सी पुलिस थाना तुंगा जयपुर हाल-शाखा प्रभारी इकाई कार्यालय रिको, मालवीय नगर जयपुर उपस्थित कार्यालय आये। उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान का व परिवादी का आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र से अवगत करवाकर उक्त ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने बाबत मौखिक स्वीकृति चाही गई तो उक्त दोनों गवाह ने अपनी अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। उसके बाद कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखे विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को विभागीय कम्प्यूटर में जोड़कर दिनांक 18.02.2021 को रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्ड उक्त वार्ता को बारी-बारी से चलाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट गवाहान की मौजूदगी में परिवादी श्री रामराय मीणा से अपनी एवं आरोपी की आवाज की पहचान करवाई जाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाई जाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की रिकार्ड वार्ता की वाईस क्लिप को बारी-बारी तीन अलग-अलग सीडी में राईट/बर्न किया गया। वाईस क्लिप सीडी में रिकार्ड/सेव होना सुनिश्चित किया जाकर तीनों सीडी पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा अलग-अलग सीडी मार्क A-1, A-2, मार्क A-3(आईओ कॉपी) कमशः अंकित किये गये। उक्त सीडी में से दो सीडी मार्क A-1 एवं मार्क A-2 को अलग-अलग प्लास्टिक सीडी कवर में रखकर अलग-अलग कपड़े की थैलियों में रखकर सील चीट मोहर की गयी। पैकेटों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये व सीडी अनुसार कपड़े के पैकेटों पर मार्क अंकित किये गये। सीडी मार्क A-1, A-2, को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। सीडी मार्क-A-3 (आईओ कॉपी) अनुसंधान अधिकारी हेतु अनुसंधान के प्रयोजनार्थ खुली रखी गयी। उसके बाद उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष परिवादी श्री रामराय मीणा पुत्र श्री भौरी लाल मीणा उम्र 44 साल जाति मीणा निवासी परमानन्दपुरा उर्फ मण्डालिया तहसील कोटखावदा थाना कोटाखावदा जयपुर जिनसे रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी श्री रामराय मीणा ने अपने पास से पांच - पांच सौ रुपये के 70 नोट कुल 35,000/- रुपये प्रस्तुत किए एवं बताया कि आरोपी श्री जगदीश ने मुझसे 50,000 रुपये रिश्वत के मांगे थे लेकिन मेरे पास में 35,000 रुपये ही रिश्वत राशि की व्यवस्था हो पाई। अतः बाकी रिश्वत राशि में दिये जाने वाले डमी करेंसी 500-500 रुपये के कुल 30 नोट भारतीय मनोरंजन बैंक के कुल 15,000/-रुपये की भी व्यवस्था कार्यालय की आलमारी से निकलवाये जाकर की गयी। परिवादी श्री रामराय मीणा ने बताया कि रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान हुई वार्ता के अनुसार उक्त रिश्वती राशि आरोपी श्री जगदीश रिश्वत का लेन देन आज रविवार दिनांक 20.02.2022 को करेगा परिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए नोटों का विवरण निम्न प्रकार है:-

1.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	2AC 902971
2.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6VA 089597
3.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	5MD 479160
4.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6VA 089596
5.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	0NL 196495
6.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	9BE 196182
7.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	7GQ 997768
8.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	4RP 022616
9.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	7DQ 247555
10.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8GQ 883530
11.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	4AN 109990
12.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8GF 086631
13.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6WH 149224
14.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	0CT 851993
15.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	0EM 858355
16.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	9EA 619494
17.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	5SL 779693
18.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8SF 798064
19.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	7VA 613433
20.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8FC 975020
21.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	4NL 993463
22.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	4EP 488175
23.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	1EL 442711
24.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	0AB 215372
25.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	4PT 265423

26.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	1LC 308668
27.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	4RT 554337
28.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	3WQ 102418
29.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	4ES 737703
30.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	4FS 872603
31.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	5UP 607946
32.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	4BL 007716
33.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	3DT 316990
34.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	3LR 918651
35.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8EH 993717
36.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6FF 944805
37.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	2NM 737522
38.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	1DV 195092
39.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	4KT 637475
40.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8AT 994303
41.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	7NW 550651
42.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	1AR 089150
43.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	7BL 629868
44.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	4RT 951118
45.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8VT 749675
46.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	2PT 352001
47.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	2QU 070272
48.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	3AT 261336
49.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	5VC 079117
50.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	2UN 221400
51.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	5CV 809925
52.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6VN 483603
53.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	1NU 238257
54.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8DK 323605
55.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	0GM 553794
56.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8UV 644715
57.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	0MQ 473117
58.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6KT 256964
59.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	3NF 642483
60.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8HT 198605
61.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6SW 266372
62.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	3CK 250623
63.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8DE 475593
64.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	2HB 413916
65.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	5WB 364720
66.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8CS 590760
67.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8BK 064048
68.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	7ST 643735
69.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6BD 392056
70.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	1FL 404679

उक्त सभी 70 नोट राशि 35,000/- रुपये के अतिरिक्त 500 रुपये जैसे दिखने वाली डमी करेंसी के कुल 30 नोट कुल राशि 15,000/- रुपये है। उक्त सभी डमी नोटों पर भारतीय मनोरंजन बैंक लिखा हुआ है। सभी डमी नोटों पर DUK 616850 नम्बर अंकित है। चूंकि रिश्वत का लेन देन



परिवादी द्वारा किया जावेगा। अतः परिवादी की जामा तलाशी श्री नरेन्द्र कुमार स्वतंत्र गवाह उपरोक्त से लिवाई गई तो उसके पास एक मोबाईल, एक गाड़ी की चाबी मिले हैं जो परिवादी के पास छोड़े गए। तत्पश्चात् उपरोक्त वर्णित नम्बरी नोटों पर श्री सुमित कुमार यादव पुत्र श्री सुभाष चन्द यादव कानि न० 145 से कार्यालय की अलमारी में रखी हुई फिनोलपथलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर गवाहान की मौजूदगी में फिनोलपथलीन पाउडर एक अखबार पर डलवाकर उक्त नोटों पर फिनोलपथलीन पाउडर भलीभांति लगवाया गया। इसके अतिरिक्त परिवादी व उसके साथ आये भुआ का लडका धर्मेन्द्र सिंह मीणा के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पायी गई। तत्पश्चात् फिनोलपथलीन पाउडर युक्त 50,000/- रूपयों को परिवादी के बदन पर पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जेब में सुमित कुमार यादव कानि 145 से रखवाए गए। परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त पाउडर युक्त नोटों को आरोपी द्वारा मांगने पर ही उसको रिश्वत के रूप में देवें उससे पूर्व इन नोटों को हाथ नहीं लगावे तथा किसी भी सूरत में आरोपी से हाथ नहीं मिलावें, केवल हाथ जोड़कर ही अभिवादन करें तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपना अपना अपना सिर पर पहना हुआ टोपा या चश्मा उतारकर या परिस्थिति अनुसार अपने मोबाईल नम्बर 9928958224 से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मो०न० 9460000609 पर मिस कॉल कर ट्रेप पार्टी को निर्धारित ईशारा करे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि आरोपी रिश्वती राशि लेकर कहां रखता है इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखे तथा स्वतंत्र गवाहान को हिदायत दी गई कि वह परिवादी व आरोपी के आसपास रहकर परिवादी व आरोपी के बीच होने वाली आपसी रिश्वत लेन-देन की कार्यवाही एवं वार्ता को सुनने व रिश्वती राशि के लेन देन को देखने का प्रयास करें। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री रामराय मीणा को फिनोलपथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर समझाने के लिए कांच के एक साफ गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाया गया घोल का रंग रंगहीन रहा, उसके बाद सुमित कुमार यादव कानि 145 के हाथों की अंगुलियों को उक्त सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसके बारे में उपस्थित गवाहान व परिवादी को समझाया गया कि जो भी इन पाउडर लगे नोटों को हाथ लगायेगा जिसके हाथ इस प्रक्रिया के अनुसार धुलवाने से पानी का रंग गुलाबी हो जावेगा। तत्पश्चात् उस अखबार को जिस पर रखकर नोटों पर फिनोलपथलीन पाउडर लगवाया था, को जलवाकर नष्ट करवाया गया। श्री सुमित कुमार यादव कानि 145 से गुलाबी घोल को बाहर फिकवाकर फिनोलपथलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में रखवाकर श्री सुमित कुमार यादव कानि 145 के हाथों को तथा गिलास को साबुन व पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सदस्यों व गवाहान की एक दूसरे से तलाशी लिवाये जाने पर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु या दस्तावेज आदि नहीं छोड़े गये। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने स्वयं अपनी एवं स्वतंत्र गवाहान व परिवादी तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथों को साबुन व पानी से धोकर साफ किया। सभी को मुनासिब हिदायत दी गई। ट्रेप कार्यवाही हेतु साथ ले जाने वाले कांच के गिलास व कांच की शीशियों को भी अच्छी तरह धोकर साफ करवाने के बाद सुखा कर ट्रेप बॉक्स में रखा गया। परिवादी को छोड़कर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो सभी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। श्री सुमित कुमार यादव कानि 145 को कार्यालय में छोड़ा गया। परिवादी को मांग सत्यापन के वक्त दिया गया डिजिटल वाईस रिकार्डर पैन ड्राईवनुमा कार्यालय की आलमारी सुरक्षित रखे हुये को कार्यालय की आलमारी से निकालकर सुपूद किया गया। जिसकी फर्द मुर्तिब की गई। समय 2.30 पीएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान सर्व श्री रघुवीर शरण पु०नि०, श्री अमित कानि., पन्नालाल कानि, रमजान अली कानि., दिलावर कानि., श्री हिम्मत सिंह कानि., श्री मनीष कानि०, श्री देवेन्द्र सिंह कानि०, श्रीमती निधि म.कानि., श्रीमती संतोष टेलर म.कानि. मय स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8798 मय चालक श्री सुनिल कानि. चालक एवं आरजे 14 यूए 1399 मय सरकारी वाहन चालक श्री कंवरलाल कानि. चालक के मय आवश्यक ट्रेप सामग्री एवं सामान सरकारी के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुये। समय 02.57 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री रामराय के मोबाईल 9928958224 से संदिग्ध आरोपी के मोबाईल नम्बर 8078614689 पर स्पीकर ऑन करके वार्ता करवाई तो संदिग्ध आरोपी ने बताया कि मैं अभी जयपुर हूं और मैं अभी नहीं मिल सकता। इस पर ट्रेप कार्यवाही होने की कोई संभावना नहीं होने पर मन उप अधीक्षक मय हमराहीयान के वापस ब्यूरो मुख्यालय रवाना होकर ब्यूरो मुख्यालय आया। परिवादी की दाहिने पेंट की जेब में मुताबिक फर्द पेशकशी रखवाई गई रिश्वती राशि श्री सुमित कानि० से निकलवाई जाकर एक खाली लिफाफे में रखकर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाई गई एवं डिजिटल वाईस रिकार्डर मन उप अधीक्षक द्वारा प्राप्त किया जाकर सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखा गया। परिवादी व परिवादी के साथ आये भुआ के लडके धर्मेन्द्र सिंह एवं स्वतंत्र गवाहान को मुनासिब हिदायत कर रुकसत किया गया। पूर्व से पाबन्दशुदा दिनांक 21.02.2022 को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री रामराय मीणा मय अपने भुआ के लडके श्री धर्मेन्द्र सिंह के उपस्थित आये। समय 11.31 एएम पर परिवादी श्री रामराय मीणा के मोबाईल पर संदिग्ध आरोपी श्री जगदीश का मोबाईल नम्बर 8078614689 से मिस कॉल आया जिस पर परिवादी

से संदिग्ध आरोपी के मोबाईल पर फोन का स्पीकर ऑन करवाकर बात करवाई तो संदिग्ध आरोपी ने परिवादी को मिलने के लिये बुलाया है। इस पर श्री धर्मसिंह कानि0 249 को कार्यालय में बुलवाया जाकर कार्यालय की आलमारी में लिफाफे में सुरक्षित रखी फिनोपथलीन पाउडर युक्त रिश्वती राशि परिवादी के पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिने जेब में रखवाये व मुताबिक फर्द पेशकशी दिनांक 20.02.2022 परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया। समय 12.00 पीएम पर मन उप अधीक्षक हमराहीयान सर्व श्री रघुवीर शरण पु0नि0, श्री अमित कानि., पन्नालाल कानि., कमलेश कानि., दिलावर कानि., श्री हिम्मत सिंह कानि., श्री मनीष कानि0, श्री विनोद कानि0 242, श्री देवेन्द्र सिंह कानि0, श्रीमती निधि म.कानि., श्रीमती संतोष टेलर म.कानि. मय परिवादी रामराय मीना व भुआ के लड़के श्री धर्मेन्द्र सिंह मय स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8799 मय चालक श्री रमेश कानि. चालक एवं आरजे 14 यूए 1399 मय सरकारी वाहन चालक श्री सुनिल कानि. चालक के मय आवश्यक ट्रेप सामग्री एवं सामान सरकारी एवं प्राईवेट मोटरसाईकिल के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुये। समय 12.48 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री रामराय मीना से संदिग्ध आरोपी के मोबाईल पर वार्ता करवाई तो आरोपी ने कहा कि मैं अभी पुराना पुलिस थाना में बने क्वार्टर में हूँ तुम वही आ जाओ। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को मय पन्नालाल कानि0 के प्राईवेट मोटरसाईकिल पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देकर रवाना किया। परिवादी व पन्नालाल कानि0 के पीछे-पीछे मन उप अधीक्षक मय हमराहीयान मय स्वतंत्र गवाहान के रवाना हुआ। समय 01.15 पीएम पर श्री पन्नालाल कानि0 ने मन उप अधीक्षक को जरिये मोबाईल बताया कि मैंने परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करके दे दिया व मोटरसाईकिल से पुराने थाने में भेज दिया था और मैं थाने के पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकिम हुआ। परिवादी ने थोड़ी देर बाद ही वापस मेरे पास आकर बताया कि इन्चार्ज साहब नये थाने मे बने अपने क्वार्टर पर है और मुझे वही बुलाया है तो मैं व परिवादी नये थाने की ओर जा रहे है आप भी हमारे पीछे-पीछे आ जाओ। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही परिवादी की मोटरसाईकिल के पीछे-पीछे उचित दूरी रखते हुये रवाना होकर मय हमराहीयान मय स्वतंत्र गवाहान के नये थाना परिसर के आस पास अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकिम हुये व परिवादी के पीछे-पीछे श्री पन्नालाल कानि0 व स्वतंत्र गवाहान व श्री मनीष कानि0 व श्रीमती संतोष म0कानि0 को पैदल-पैदल रवाना किया। समय 01.25 पीएम पर परिवादी श्री रामराय मीना ने अपने सर के उपर पहना हुआ टोपा व चश्मा उतारकर निर्धारित ईशारा किया। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान व स्वतंत्र गवाहान के निर्माणाधीन थाना परिसर के जो आस पास अपनी उपस्थिति छुपाये हुये मुकिम हुये थे को साथ लेकर निर्माणाधीन नये थाना के पीछे बने क्वार्टर्स के पास पहुंचा व परिवादी को पूर्व में दिया हुआ डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद करके अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने मन उप अधीक्षक को एक व्यक्ति की तरफ ईशारा करके बताया कि ये ही थानाधिकारी श्री जगदीश जी है जिन्होंने अभी-अभी मेरे से रिश्वत के रुपये निर्माणाधीन थाना परिसर के मैदान में रखे कट्टे में रखवाये है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुये उक्त व्यक्ति श्री जगदीश थानाधिकारी से उनका नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना नाम जगदीश प्रसाद तंवर पुत्र श्री भंवर लाल जाति माली उम्र 55 साल निवासी 113/6, विजय पथ, मानसरोवर, जयपुर स्थाई पता-ग्राम नलियाबास, सुजानगढ़, गोपालपुरा रोड़, चुरु बताया। इस पर मन उप अधीक्षक ने श्री जगदीश प्रसाद से परिवादी से रिश्वत लेने के संदर्भ में पूछा तो आरोपी श्री जगदीश प्रसाद ने झिझकते हुये कहा कि मैंने श्री रामराय से कोई पैसे नहीं लिये है। ये तो मेरे से अपने मुकदमें के संबंध में बात करने आया था और बात करके जा रहा था मैंने इनसे किसी प्रकार के कोई पैसे नहीं लिये है। इस पर परिवादी श्री रामराय मीना ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुये कहा कि ये जगदीश जी झूठ बोल रहे है। इन्होंने मेरे काम थाना कोटखावदा में दर्ज प्रकरण संख्या 111/2018 मेरी व अन्य मेरे भतीजे व मेरे जीजाजी है उस मुकदमें में मेरी व बाकी तीन बचे हुए लोगों की मदद करने के नाम पर व पुलिस रिमाण्ड नहीं लेने के बदले में जो पैसे मांगे थे वो मैं इनको देने आया तो जगदीश जी ने वो रुपये निर्माणाधीन थाना परिसर के मैदान में लगी जाली के पास रखे सीमेंट के खाली प्लास्टिक के कट्टे में रखने के लिये कहने पर मैंने रिश्वती राशि कुल 50,000/-रुपये उक्त प्लास्टिक के कट्टे में रख दिये है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस स्वतंत्र गवाहान को साथ लेकर उक्त प्लास्टिक के कट्टे के पास पहुंचा व कट्टे की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री कजोड़मल से लिवाई तो उक्त प्लास्टिक के कट्टे के अन्दर 500-500 रुपये के नोट रखे मिले जिनका मिलान फर्द पेशकशी से करवाया गया तो हुबहु नम्बरी नोट रिश्वती राशि होना पाया गया। एवं उक्त नम्बरी नोटों कुल 70 के अतिरिक्त 500 रुपये जैसे दिखने वाली डमी करेंसी के कुल 30 नोट कुल राशि 15,000/- रुपये है। उक्त सभी डमी नोटों पर भारतीय मनोरंजन बैंक लिखा हुआ है। सभी डमी नोटों पर DUK 616850 नम्बर अंकित है। रिश्वती राशि कुल 70 नोटों (35,000/-रुपये असल भारतीय मुद्रा) हुबहु पाये गये। इसके बाद सरकारी वाहन से ट्रेप बॉक्स निकलवाकर पास ही बने आवासीय क्वार्टर्स में से एक साफ बाल्टी प्लास्टिक की मंगवाई जिसको पानी से साफ करके प्लास्टिक की बाल्टी में साफ पानी डालकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर की चार चम्मच डालकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो हाजरीन बाल्टी में पानी के घोल को

देखकर रंगहीन होना बताया। तत्पश्चात् बाल्टी के घोल में प्लास्टिक के कट्टे को धोया गया तो बाल्टी के पानी का रंग गुलाबी हो गया जिसको स्वतंत्र गवाहान व उपस्थित हाजरीन को दिखाया तो रंग गुलाबी होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर मार्क PK-1, PK -2 अंकित कर शील्ड मोहर कर चिट चस्पा कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया एवं उक्त प्लास्टिक का सफेद कट्टा जिसपर अंग्रेजी में AMBUJA BUILDCEM लिखा हुआ है, उक्त सफेद प्लास्टिक के कट्टे को सुखाकर एक साफ सफेद कपड़े की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क PK दिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। स्वतंत्र गवाह श्री कजोड़मल के पास रखवाई गई रिश्वती राशि का पुनः स्वतंत्र गवाहान से मिलान मुताबिक फर्द पेशकशी से करवाया गया तो हुबहु नम्बरी नोट पाया गया। उक्त रिश्वती राशि को शीलचिट कर कब्जा एसीबी लिया गया। चूंकि आरोपी श्री जगदीश प्रसाद ने रिश्वती राशि को हाथ में नहीं लेकर सीधे ही परिवारी से प्लास्टिक के कट्टे में रखवाये हैं अतः आरोपी के हाथों का धोवन लिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा पूर्व में अपने पास सुरक्षित रखे हुये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर सुना तो आरोपी श्री जगदीश व परिवारी श्री रामराय की बातचीत व रिश्वत के संबंध में वार्ता होना पाया गया है जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा नियमानुसार तैयार की गई। मन उप अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री जगदीश से परिवारी के पैडिंग कार्य के बारे में पूछने पर आरोपी ने बताया कि रामराय मीना के खिलाफ थाना कोटखावदा में मुकदमा नम्बर 111/2018 दर्ज होकर धारा 173(8) सीआरपीसी में लम्बित है, जिसमें तीन मुल्जिमों की गिरफ्तारी शेष है। उक्त लम्बित प्रकरण की पत्रावली की फोटोप्रति उपलब्ध करवाने हेतु मन उप अधीक्षक पुलिस ने थाना कोटखावदा थाने के श्री घनश्याम मीणा, सउनि को तलब करने पर उपस्थित आये। श्री घनश्याम सउनि को थाना कोटखावदा में दर्ज प्रकरण संख्या 111/2018 की पत्रावली की प्रमाणित फोटोप्रति (ताकि राजकार्य प्रभावित ना हो) पेश करने हेतु तहरीर लिखी जाकर टीम मेम्बर श्री कमलेश कानि. को साथ भिजवाया गया। चूंकि निर्माणाधीन थाने में लिखापढ़ी की व्यवस्था नहीं होने से थाना परिसर के पास में बने तहसील कार्यालय में लिखापढ़ी की कार्यवाही करने हेतु मन उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय आरोपी श्री जगदीश मय हमराहीयान मय जप्तशुदा आर्टिकल्स के सरकारी वाहन से तहसील कार्यालय कोटखावदा पहुंचा। तहसील कार्यालय पहुंचकर मन उप अधीक्षक ने तहसीलदार कोटखावदा श्री मुकेश कुमार मीना से उक्त कार्यवाही की लिखपढ़ी करने का निवेदन किया गया तो तहसीलदार साहब ने अपनी मौखिक स्वीकृति देते हुये एक कक्ष की व्यवस्था करवाई, जहां पर लिखापढ़ी की कार्यवाही की गई।

उपरोक्त कार्यवाही से श्री जगदीश प्रसाद तंवर पुत्र श्री भंवर लाल जाति माली उम्र 55 साल निवासी 113/6, विजय पथ, मानसरोवर, जयपुर स्थाई पता-ग्राम नलियाबास, सुजानगढ़, गोपालपुरा रोड़, चूरू हाल पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी थाना कोटखावदा जिला जयपुर(दक्षिण), जयपुर द्वारा परिवारी श्री रामराय मीना पुत्र श्री भौरी लाल मीना उम्र 44 साल निवासी गांव परमानन्दपुरा उर्फ मण्डालिया तहसील कोटखावदा थाना कोटखावदा जिला जयपुर के खिलाफ थाना कोटखावदा में दर्ज प्रकरण संख्या 111/2018 में परिवारी व परिवारी के भतीजे व जीजाजी आरोपी है उस मुकदमें में परिवारी व बाकी तीन बचे हुए परिवारी के परिवार के लोगों की मदद करने के नाम पर व पुलिस रिमाण्ड नहीं लेने की ऐवज में दिनांक 18.02.2022 को 50,000/-रुपये की मांग करते हुये आरोपी श्री जगदीश प्रसाद तंवर द्वारा आपराधिक अवचार करते हुये भ्रष्ट एवं अवैध साधनों से अपने लिये धन सम्बन्धी लाभ प्राप्त करने के लिये लोक सेवक के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करके अपने लिये धन सम्बन्धित लाभ अभिप्राप्त करने के लिये अपने पदीय कृतव्यों का दुरुपयोग करते हुये परिवारी के काम में मदद करने ऐवज पर आज दिनांक 21.02.2022 को रिश्वती राशि 50,000/-रुपये परिवारी से प्लास्टिक के कट्टे में रखवाये हुये को बरामद किया गया। जिससे आरोपी श्री जगदीश प्रसाद का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम वर्ष 2018 का पाया जाने पर आरोपी श्री जगदीश प्रसाद से अपनी आवाज का नमूना दिये जाने बाबत् लिखित में नोटिस दिया जाकर नमूना आवाज देने या नहीं देने बाबत् लिखित में जवाब प्राप्त किया गया। आरोपी श्री जगदीश प्रसाद ने अपनी आवाज का नमूना नहीं देने बाबत् लिखित में मना किया जिस पर आरोपी श्री जगदीश प्रसाद तंवर पुत्र श्री भंवर लाल जाति माली उम्र 55 साल निवासी 113/6, विजय पथ, मानसरोवर, जयपुर स्थाई पता-ग्राम नलियाबास, सुजानगढ़, गोपालपुरा रोड़, चूरू हाल पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी थाना कोटखावदा जिला जयपुर(दक्षिण), जयपुर को जरिये फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात् मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री जगदीश प्रसाद के मय जप्तशुदा आर्टिकल्स मुताबिक फर्द बरामदगी के मार्क PK-1, PK -2 एवं मार्क- PK व जप्तशुदा रिश्वती राशि के मय सरकारी वाहन चालक के एसीबी कार्यालय जयपुर के लिये रवाना हुआ। परिवारी श्री रामराय व परिवारी के बुआ के लड़के धर्मेन्द्र सिंह को दिनांक 22.02.2022 को एसीबी कार्यालय समय 09.30 एएम पर आने की हिदायत कर मौके से ही रुकसत किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान मय

स्वतंत्र गवाहान मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मय जप्तशुदा आर्टिकल्स मुताबिक फर्द बरामदगी के मार्क PK-1, PK -2 एवं मार्क- PK व जप्तशुदा रिश्वती राशि के मय सरकारी वाहन चालक के एसीबी कार्यालय जयपुर के लिये रवाना होकर एसीबी कार्यालय पहुंचा। दिनांक 22.02.2022 को विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को विभागीय कम्प्यूटर में जोड़कर दिनांक 21.02.2022 को रिश्वत लेनदेन की रिकार्ड उक्त वार्ता को बारी-बारी से चलाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट गवाहान की मौजूदगी मे परिवारी श्री रामराय मीना से अपनी एवं आरोपी की आवाज की पहचान करवाई जाकर पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट वार्ता रूपान्तरण तैयार किया जाकर सभी संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात कार्यालय से तीन खाली सी.डी. की व्यवस्था की जाकर उन्हें कम्प्यूटर के जरिये खाली होना सुनिश्चित किया गया। दोनों गवाहान एवं परिवारी के समक्ष डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में दर्ज रिश्वत राशि के आदान-प्रदान के समय दिनांक 21.02.2022 को परिवारी व आरोपी के बीच हुई वार्ता को कम्प्यूटर में लोड किया गया। इसके पश्चात् उपरोक्त वार्ता की वॉयस क्लिप को तीनों खाली सी.डी. में बारी-बारी से डाउनलोड किया गया। सभी सी.डी. को पुनः कम्प्यूटर पर चलाया जाकर सुना गया तो उसमें उपरोक्त वार्ता दर्ज होना पाया गया। इसके बाद एक सी.डी. को एक सफेद कपड़े की थैली में सिलकर सीलमोहर कर मार्क 'B-1' (न्यायालय प्रति) अंकित किया, इसी प्रकार दूसरी सी.डी. को पृथक-पृथक सफेद कपड़े की थैली में सीलकर सीलमोहर कर मार्क 'B-2' (अभियोजन पक्ष हेतु) अंकित किया गया एवं तीसरी सी.डी. मार्क 'B-3' को अनुसंधान अधिकारी हेतु खुला रखा जाकर सभी पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया एवं उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड जिसमें मांग सत्यापन दिनांक 18.02.2022 व रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 21.02.2022 की रिकॉर्ड है, को एक माचिस की डिब्बी में रखकर सफेद कपड़े की थैली में सिलकर शिल्ड मोहर कर कब्जा एसीबी लिया मार्क-MC दिया गया। सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सपुर्दगी नोट, फर्द जप्ति एवं बरामदगी रिश्वती राशि, फर्द गिरफ्तारी, फर्द निरीक्षण घटनास्थल, रिश्वत राशि लेन देन वार्ता एवं मौके की हालात से पाया गया कि आरोपी श्री जगदीश प्रसाद तंवर पुत्र श्री भंवर लाल जाति माली उम्र 55 साल निवासी 113/6, विजय पथ, मानसरोवर, जयपुर स्थाई पता-ग्राम नलियाबास, सुजानगढ़, गोपालपुरा रोड़, चूरु हाल पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी थाना कोटखावदा जिला जयपुर(दक्षिण), जयपुर द्वारा परिवारी श्री रामराय मीना पुत्र श्री भौरी लाल मीना उम्र 44 साल निवासी गांव परमानन्दपुरा उर्फ मण्डालिया तहसील कोटखावदा थाना कोटखावदा जिला जयपुर के खिलाफ थाना कोटखावदा में दर्ज प्रकरण संख्या 111/2018 में परिवारी व परिवारी के भतीजे, जीजाजी है उस मुकदमें में परिवारी व बाकी तीन बचे हुए परिवारी के परिवार के लोगों की मदद करने के नाम पर व पुलिस रिमाण्ड नहीं लेने की ऐवज में दिनांक 18.02.2022 को 50,000/-रुपये की मांग करते हुये आरोपी श्री जगदीश प्रसाद तंवर द्वारा आपराधिक अवचार करते हुये भ्रष्ट एवं अवैध साधनों से अपने लिये धन सम्बन्धी लाभ प्राप्त करने के लिये लोक सेवक के रूप में अपने पदीय कृतव्यों का दुरुपयोग करते हुये परिवारी के काम में मदद करने की ऐवज पर दिनांक 21.02.2022 को रिश्वती राशि 50,000/-रुपये परिवारी से प्लास्टिक के कट्टे में रखवाकर प्राप्त किया गया। आरोपी श्री जगदीश प्रसाद का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम वर्ष 2018 की तारीफ में आना पाये जाने पर उपरोक्त के विरुद्ध विस्तृत अनुसंधान हेतु उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर को प्रेषित है।



(कमल नयन)


पुलिस उप अधीक्षक

विशेष अनुसंधान ईकाई

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री कमल नयन, पुलिस उप अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री जगदीश प्रसाद तंवर, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना कोटखावदा, जिला जयपुर(दक्षिण), जयपुर के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 55/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।


22.2.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 505-10 दिनांक 22.2.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1 जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त महानिदेशक, सर्तकता, राजस्थान, जयपुर।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।


22.2.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।